



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 203] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 27, 1987/वैशाख 7, 1909
No. 203] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 27, 1987/VAISAKHA 7, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

मंत्रिमण्डल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1987

का. आ. 440 (अ) :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आर्बटन) विध. 1961 में श्रीर संशोधन
करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य आर्बटन) (एक-सी
इक्यानवेवा संशोधन) नियम, 1987 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य आर्बंटन) नियम, 1961 की दूसरी अनुसूची में,—
- (i) "कृषि मंत्रालय" शीर्ष के अधीन उपशोध "क कृषि और सहकारिता विभाग" के नीचे भाग 4 में, प्रविष्टि 55 में अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्: —
"किन्तु इसमें कृषिक विमानन निदेशालय सम्मिलित नहीं है";
- (ii) "नागर विमानन मंत्रालय" शीर्ष के अधीन प्रविष्टि 16 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—
17. कृषिक विमानन
 18. नागर विमानन मद्दानिदेशालय
 19. राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण
 20. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी
 21. वायुदूत लिमिटेड
 22. नागर विमानन सुरक्षा निदेशालय" ।

जील सिंह

राष्ट्रपति

[फा.स. 74/2/87-मंत्रि.]

दीपक दास गुप्ता, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT
NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 1987

S.O. 440(E):—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and ninetyfirst Amendment) Rules, 1987.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule,—

(i) under the heading "MINISTRY OF AGRICULTURE (KRISHI MANTRALAYA)", under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION (KRISHI AUR SAHKARITA VIBHAG)", in Part IV, in entry 55, the following shall be inserted at the end, namely :—

"except the Directorate of Agricultural Aviation";

(ii) under the heading "MINISTRY OF CIVIL AVIATION (NAGAR VIMANAN MANTRALAYA)", after entry 16, the following entries shall be inserted, namely :—

17. Agricultural Aviation.
18. Directorate General of Civil Aviation.
19. National Airports Authority.
20. Indira Gandhi Rashtriya Urban Akademi.
21. Vayudoot Ltd.
22. Directorate, Civil Aviation Security."

ZAIL SINGH
PRESIDENT

[F. No. 74/2/87-Cab.]

DEEPAK DAS GUPTA, Jt. Secy.